



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

(A U.P. Government Undertaking)

SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065



पत्र सं०: 5450 - मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2024-15-मा०सं०प्र०-02/2001

दिनांक : 19 नवम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- यू. पी. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.07.2024 से बढ़ी दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 922-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2024-15-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2001, दिनांक 15.03.2024 के अनुक्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०: सा-3-485/दस-2024/301/2000टी.सी. दिनांक 30.10.2024 में निहित प्रावधानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.07.2024 से महंगाई राहत की विद्यमान (50) पचास प्रतिशत की दर से बढ़ा कर (53) तिरपन प्रतिशत किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है।

2- पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.07.2024 से (03) तीन प्रतिशत की उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान (50) पचास प्रतिशत की दर निम्नवत् हो जायेगी :-

क्रम सं०	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किशत की दर	महंगाई राहत की देय कुल दर
01	01 जुलाई, 2024	03 प्रतिशत	53 प्रतिशत

3- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होंगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा।

4- पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं०: 1054-डब्ल्यू०सी०/राविप-ओ०सं०- 19-14(23)एफ-85, दिनांक 10.06.1988 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त)/महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

क्रमशः 02.....



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. Government Undertaking)



SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

::02::

- 5- उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा अनुभाग-2 की अधिसूचना सं० 872/24-पी-2-2023-63(नियुक्ति) -2011 लखनऊ, दिनांक 03.11.2023 द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० और जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के उपक्रमों सहित कृत्यों और उपक्रमों का यूपी जल विद्युत निगम लि० में समामेलन व विलयन उपरान्त कम्पनी सचिव के पत्रांक सीएस/यूपीआरवीयूएनएल/मर्जर/142 दिनांक 22.02.2024 द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० का यूपी जल विद्युत निगम लि० में विलय उपरान्त उपरोक्त आदेश पूर्ववर्ती यूपी जल विद्युत निगम लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू होगा।
- 6- महंगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

अध्यक्ष

सं०: 5450 -मा०सं०प्र०-02/जनिलि/2024, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
7. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
8. मुख्य अभियन्ता(मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
9. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/1X660 पनकी/2X660 जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/मलावन (एटा)।
10. महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन), जल विद्युत स्कंध, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 12वां तल, शक्ति भवन विस्तार।
11. मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०)/(एम०पी०एस०), जल विद्युत स्कंध, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 12वां तल, शक्ति भवन विस्तार।
12. मुख्य अभियन्ता, प्रगति, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर, विद्युत सेवा आयोग भवन, तृतीय तल विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvnl.org पर अपलोड करने हेतु।

क्रमशः 03.....



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

(A U.P. Government Undertaking)

SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065



::03::

13. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), (पीपीएमएम)/ मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), न्यू कोल ब्लॉक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, टीसी-46वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226010।
14. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), तापीय परिचालन/मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) ईधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर०एण्डएम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद/जानपद नव-परियोजनाए/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. मुख्य अभियन्ता (निर्माण)/जानपद, 2X660 जवाहर पुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन(एटा)।
16. महा प्रबन्धक(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी/माताटीला/खारा।
19. अधीक्षण अभियन्ता, जानपद निर्माण मण्डल (जल विद्युत इकाई), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 12वां तल शक्ति भवन विस्तार।
20. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि०(01/02/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/रिफार्म/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/ प्रशिक्षण/डाटाबेस/औ०सं०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
21. उप महाप्रबन्धक (वित्त/लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
22. उप महाप्रबन्धक (वित्त/लेखा), उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
23. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
24. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
25. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
26. लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/वितन एवं लेखा), जल विद्युत इकाई, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
27. समस्त अधिशासी अभियन्ता/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी,(मानव संसाधन)/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
28. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
29. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ।
30. कट फाइल।

आज्ञा से,

(देवेश कुमार विश्वकर्मा)

उप महाप्रबन्धक(मा०सं०-02)